निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 120 /2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) प्रभारी, एम.डी.एम., अल्मोड़ा **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) प्रभारी, एम.डी.एम., अल्मोड़ा **के माह 4/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री** शरत् श्रीवास्तव एवं श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, **द्वारा दिनांक 21-11-2016 से 02-12-2016 तक** श्री हनुमान सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में **सम्पादित किया गया।**

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.के. जोगी, श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.12.2014 से 06.01.2015 तक श्री ए.सी. कटियार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2009 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को मध्याहन भोजना योजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध कराना। इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 11 ब्लॉक आते हैं।

3. इकाई द्वारा मध्याहन भोजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई योजना संचालित नहीं की जाती है। अधिकार क्षेत्र में 11 ब्लॉक के प्राइमरी विद्यालय आते हैं।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	00	307.88	00	00	1446.75	1399.47	00	355.16
2014-15	00	355.16	00	00	1266.22	1141.74	00	479.64
2015-16	00	479.64	00	00	1017.20	1035.31	00	461.53

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित **योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय अधिक्य (-) `**	**बचत (-) `**
2013-14	मध्याहन भोजन योजना	307.88	1446.75	1399.47	355.16
2014-15	मध्याहन भोजन योजना	355.16	1266.22	1141.74	479.64
2015-16	मध्याहन भोजन योजना	479.64	1017.20	1035.31	461.53

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** द्वारा दिया जाता है। **गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई** केन्द्र और राज्य अंश के रूप में राशि शासन से आंबटित होती है, जो इकाईयों को निदेशालय के माध्यम से अवमुक्त शासन से आवंटित हेाती है, जो इकाईयों को निदेशालय के माध्यम से अवमुक्त की जाती है। तथा इकाई 'ए' **श्रेणी की है।** विभाग **का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है:-**

1. डी.एम. 2. मुख्य शिक्षा अधिकारी 3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय** जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) प्रभारी, एम.डी.एम., अल्मोड़ा एवं लेखापरीक्षा विधि लेनेदेन की लेखापरीक्षा **को आच्छादित किया गया।** समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) प्रभारी एम.डी.एम., अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा मे ंपाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2015 एवं 09/2015 का विस्तृत विश्लेषण किया गया। मध्याहन भोजन योजना प्रतिचयन 25 प्रतिशत विद्यालयों का चयन छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर 1 : विभागीय उदासीनता के फलस्वरूप रू0 46.62 लाख व्यय करने के बाद भी अधूरा निर्माण कार्य।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 में 4855 किचन कम स्टोर रूम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या रा.प.का./277/एम.डी.एम.–22/2011–12, दिनांक 27 मार्च, 2012 द्वारा 1281 किचन कम स्टोर रूम निर्माण की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में जनपदों को उपलबध करायी गयी थी तथा 799 किचन कम स्टोर की द्वितीय किस्त पत्र संख्या रा.प.का./08/एम.डी.एम./11/2011–12 दिनांक 9 अप्रैल 2012 को उपलब्ध करायी गयी थी। अवशेष 2775 (4855–1281–799) किचन कम स्टोर रूम हेतु धनराशि पत्रांक रा.प.का./549/एम.डी.एम./22/2012–13, दिनांक 16 फरवरी 2013 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी तथा जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) अल्मोड़ा को रू0 403.64 लाख उपलब्ध कराये गये। साथ ही पत्रांक रा.प.का./587/एम.डी.एम/22/2012–13, दिनांक 4 मार्च 2013 के द्वारा किचन कम स्टोर के निर्माण के विषय में आवश्यक निर्देश भी दिये गये कि कीचन कम स्टोर का निर्माण कार्य 3 माह के अन्दर पूर्ण किया जाय (बिन्दु–7) तथा एक सप्ताह के अन्दर विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध कराते हुए किचन–कम–स्टोर का निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से किया जाये। (बिन्दु 12)

इकाई के किचन–कम–स्टोर रूम के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–12 में कुल 10 विद्यालयों तथा वर्ष 2012–13 में कुल 35 विद्यालयों में कार्य पूर्ण नहीं था, जबकि इन विद्यालयों को कुल 46.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी थी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	स्तर विद्यालय प्रा. व उच्च प्रा.	कुल किचन कम स्टोर	पूर्ण	शेष निर्माणाधीन		अवमुक्त धनराशि	कार्य की प्रतिशतता
1	2	3	4	5		6	7
2011–12	प्राथ.वि.	403	393	1 0X1,08,000.00		10,80,000.00	
2012–12	प्राथ.वि.	235	205	30	18X99,000.00	17,82,000.00	25%
					12X10,800.00	12,96,000.00	75%
	उच्च प्राथ.वि.	30	25	05	4X99,000.00	3,96,000.00	25%
					1X10,800.00	10,800.00	75%
						46,62,000.00	

तालिका से स्पष्ट है कि रू0 46.62 लाख की धनराशि अवमुक्त किये हुए लगभग उसे 4 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य 25 प्रतिशत से 75प्रतिशत तक अधूरे थे, जबकि कार्यों को 3 माह के भीतर पूर्ण किया जाना था।

इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा प्रतिउत्तर को ताया गया कि प्रदेश भौगोलिक स्थिति के कारण कार्य द्रुतगति से नहीं पाये हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य को 3 माह के भीतर पूर्ण किया जाना था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : मध्याहन भोजन योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत रू0 5.15 लाख का भुगतान।

मध्याहन भोजन योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार भोजनमाताओं को मासिक तौर पर नियमित मानदेय का भुगतान किया जाये। भोजनमाताओं के मानदेय का वितरण जिस गांव में जहां विद्यालय स्थित है, यदि उस गांव में बैंक की सुविधा उपलब्ध है तो वहां बैंक खातों के माध्यम से सुनिश्चित की जाये।

इकाई के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014–15 व 2015–16 में योजना के तहत भोजनमाताओं को रू0 5.15 लाख का भुगतान चैक द्वारा न करके नगद भुगतान किया गया है जोकि मध्याहन भोजन योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत है (सूची संलग्न)।

इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि भविष्य में खातें मे जमा एवं चैक से भुगतान हेतु निर्देशित कर दिया जायेगा। इस प्रकार इकाई द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	विद्यालय का नाम	वर्ष	नकद भुगतान की राशि
1	हवालबाग	कृषि इ. कॉ. विजयपुर पाटिया, अल्मोड़ा	2014—15	30,000
2	हवालबाग	कृषि इ. कॉ. विजयपुर पाटिया, अल्मोड़ा	2015—16	30,000
3	हवालबाग	जु.हा. कसारदेवी, विहितयी	2014—15	27000
4	हवालबाग	जु.हा. कसारदेवी, विहितयी	2015—16	32000
5	भिकियासैंण	रा.इ.का. उपभरवाणी	2014—15	30000
6	भिकियासैंण	रा.इ.का. उपभरवाणी	2015—16	30000
7	चौखुटिया	रा.उ.मा.वि. नतैराली	2014—15	30000
8	चौखुटिया	रा.उ.मा.वि. नतैराली	2015—16	30000
9	चौखुटिया	रा.उ.मा. बूसखेट	2014—15	33000
10	चौखुटिया	रा.उ.मा. बूसखेट	2015—16	30000
11	चौखुटिया	रा.इ.का. खीड़ा	2014—15	30000
12	चौखुटिया	रा.इ.का. खीड़ा	2015—16	30000
13	चौखुटिया	रा.इ.का. योगसैधा—रामपुर	2014—15	3000
14	चौखुटिया	रा.इ.का. योगसैधा—रामपुर	2015—16	30000
15	चौखुटिया	रा.इ.का. चौखुटिया	2014—15	30000
16	चौखुटिया	रा.इ.का. चौखुटिया	2015—16	30000
17	चौखुटिया	रा.जू.हा. मनोटिया	2014—15	30000
18	चौखुटिया	रा.जू.हा. मनोटिया	2015—16	30000
			योग	**515000**

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
1999-2000/14	Nil	1, 2
2000-2001/22	1—5	1, 6
2000-2003/--	1—2	02
2005-2006/110 अ	01	01
2014-15/153	00	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या विभाग द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को संस्तुति हेतु प्रेषित नहीं की गई है, जिस कारण लेखापरीक्षा दल द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा सका।				

<u>भाग-IV</u>

<u>इकाई के सर्वोत्तम कार्य</u>

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

इकाई द्वारा मध्याहन भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों को राशि समय पर अवमुक्त कर दी जाती है, जिससे कि बच्चों को मध्याहन भोजन वितरण में रूकावट न आये।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) प्रभारी, एम.डी.एम., अल्मोड़ा (नई टिहरी) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(i) 141 विद्यालयों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री आर.बी. आर्या	जिला शिक्षा अधिकारी
2	श्री ए.के. सिंह	जिला शिक्षा अधिकारी
3	श्री वी.एन. सिंह	जिला शिक्षा अधिकारी
4	श्री राय साहब यादव	जिला शिक्षा अधिकारी
5	श्री बी.एन. सिंह	जिला शिक्षा अधिकारी
6	श्री राय साहब यादव	जिला शिक्षा अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) प्रभारी, एम.डी.एम., अल्मोड़ा (नई टिहरी) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)